



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/SLSC/IRGY(U)/2023-24/2433

दिनांक : 20/03/2024

बैठक सूचना

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(03)प्र.सु./अनु-3/2021 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर गठित स्वीकृति एवं समन्वय समिति (SLSC) की चतुर्थ बैठक दिनांक 29.03.2024 को सायं 04:00 बजे प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित कक्ष में आयोजित की जावेगी, जिसमें निम्नांकित अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
4. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
5. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग के प्रतिनिधि, जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो।
6. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग-सदस्य सचिव।
7. परियोजना निदेशक (तकनीकी), स्वायत्त शासन विभाग।

विशेष आमंत्रित:-

1. आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान।
2. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. सचिव, भर्ती आयोग, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।

बैठक एजेण्डा निम्न प्रकार है:-

1. गत बैठक दिनांक 15.09.2023 की अनुपालना रिपोर्ट।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति का विवरण।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजट प्रावधान।
4. RUIDP SOR-2022 के स्थान पर RUIDP SOR-2023 को लागू किया जाना।
5. श्रम व सामग्री का अनुपात 75:25 के स्थान पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अनुरूप श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 लागू किया जाना।
6. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) के माध्यम से योजना के पोर्टल सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक सुधार एवं नये प्रावधान सृजित करवाया जाना।
7. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

RajKaj Ref
6235534



Digitally signed by Suresh Kumar

Ola

Designation : Director

Date: 2024.03.20 17:42 IST

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक (तकनीकी), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, भर्ती आयोग, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
6235534

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Director
Date: 2024.03.20 14:20:42 IST
Reason: Approved